



पैराग्वे के एक कानून में दो संशोधनों के बाद वहां के संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा, मैडानोस डैल चाको नैशनल पार्क "सार्वजनिक स्थान" के रूप में नामजद हो जाएगा, जिसके बाद सरकार को उस हाइड्रोकार्बन इण्डस्ट्री में निवेश की छूट मिल जाएगी, जिसे कई वर्ष पहले इस क्षेत्र से निकाला गया था। इसके साथ ही क्षेत्र में खनन व नैचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, जबकि, व्यापक रूप से इस कदम का विरोध किया जा रहा है, यह तर्क देकर कि, इस तरह के विकास से यहाँ का नाजुक सवाना इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। ईको डवलपमेंट नॉन प्रॉफिट संस्था, ऑल्टा वीडा की प्रोजैक्ट को ऑर्डिनेटर मौनिका सैन्टून ने कहा, "ड्रिलिंग होगी, भारी शोषण होगा और अन्य कम्पनियों के लिए भी दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा हुआ तो पार्क नष्ट हो जाएगा।" देश के उत्तर पश्चिम का यह नैशनल पार्क 605,075 हैक्टर पर क्षेत्र में फैला है। यह नैशनल पार्क एक विशाल बायोस्फियर रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र, जैसे डिफेन्सर्स डैल चाको नैशनल पार्क और बोलीविया का का-ईया नैशनल पार्क भी शामिल हैं। यह पार्क अपने अनूठे, शुष्क जंगल व सवाना इकोसिस्टम के कारण युनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज स्टेटस के लिए भी विचाराधीन है। इस क्षेत्र की जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है। यहां जाएंट आर्माडिलो, पैटनल कैंट और गुआनाको (लामा गुआनिकोई) जैसे जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जलीय चट्टान परत येरुडा और मीठे पानी की टाइमनी नदी भी है। इस पार्क में 130 स्थानीय आदिवासी वारानी नैन्दावा परिवार एवं एयोरोयो कबीले रहते हैं। ये सभी लोग यहाँ के फ्रेश वॉटर रिजर्व्स पर निर्भर हैं, जो कि भविष्य में होने वाली ड्रिलिंग से जोखिम में पड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में खनन के लिए कई नैचुरल गैस कम्पनियों के पास परमिट है पर 2016 में इन कम्पनियों को अपना काम बंद करना पड़ा था क्योंकि पार्क की सीमा का विस्तार हो गया था और उनका खनन क्षेत्र भी संरक्षित दायरे में आ गया था।

मानहानि मामले में सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दायर की

अहमदाबाद, 25 अप्रैल। 2019 में लोकसभा सभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिया गया एक बयान उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। इस बयान की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई।

साल 2005 से जिस सरकारी आवास में रह रहे थे, वह खाली करना पड़ा। गुजरात की एक निचली अदालत उन्हें इस मामले में दो साल की सजा सुनाई, जिसे सूरत सेशन कोर्ट ने भी कायम रखा। अब इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है।

मंगलवार को उन्होंने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती

■ इस केस के कारण ही राहुल गांधी को संसद की सदस्यता तथा 2005 से प्राप्त सरकारी आवास दोनों खोने पड़े हैं।

दी है। वहीं इससे पहले 20 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर अपने भाषण में टिप्पणी की थी जिसे लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

दरअसल, 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश

मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था।

रणनीतिज्ञों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इस मौके पर, कर्नाटक के ए.आई.सी.सी. प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, विधायक यतीन्द्र सिद्धारमैया आदि उपस्थित थे। प्रियंका मैसूर और चामराजगणर जिलों में भी चुनाव प्रचार करेंगी।

कांग्रेस ने 'पी.एम. केअर्स फंड' पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (वार्ता)। कांग्रेस ने पी.एम. केअर्स फंड को हर स्तर पर मोदी सरकार की निराधार पहल करार देते हुए कहा है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है इसलिए इस बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस निधि में बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है लेकिन आखर्ष की बात यह है कि देश में इतने बड़े स्तर पर इस निधि से पैसे का आय-व्यय हो रहा है लेकिन इसका न कोई कानूनी आधार है और न इस बारे में विधायिका की कोई अधिसूचना है।

उन्होंने कहा कि पी.एम. फंड या प्रादेशिक फंड सब सूचना के अधिकार के तहत होते हैं लेकिन इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है। इसमें 5900 करोड़ रुपये की रकम सरकारी कंपनियों तथा मिनी रल और नवरल कंपनियों से आई है लेकिन सरकार

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने घोषणा की आशंका जताते हुये कहा, इस निधि में बहुत बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है, लेकिन इसका कोई हिसाब-किताब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, पी.एम. फंड या प्रादेशिक फंड सब राइट टू इन्फोर्मेशन (आर.टी.ई.) के तहत होते आते हैं, लेकिन 'पी.एम. केअर्स फंड' के मामले में ऐसा नहीं है। इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है।

कहती है कि इसके लिए कोई बजटीय व्यवस्था नहीं है। पी.एम. केअर्स में 60 प्रतिशत ओ.एन.जी.सी., ए.टी. पी. सी., आई.ओ.सी. के साथ ही सरकार द्वारा संचालित फर्मों से आता है इसलिए इसको लेकर जवाबदेही तथा पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस बारे में जवाब देगी और श्वेत पत्र जारी करेगी। पी.एम. केअर्स को जबरदस्ती, अराजकता, धम और भ्रष्टाचार करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने


■ ज्ञातव्य है कि, माली, सैनी, कुशवाह समाज के लोग 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

माली, सैनी, कुशवाह, शाक्य, मौर्य के समाज के लोग 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर 21 अप्रैल से घरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों ने पिछले 5 दिनों से नैशनल हाइवे जाम कर रखा। हालांकि माली, सैनी, कुशवाह, शाक्य, मौर्य का प्रतिनिधिमंडल जयपुर गया है। जहां सरकार के साथ उनकी वार्ता अंतिम चरण में बताई जा रही है। माली, सैनी, कुशवाह, शाक्य, मौर्य के प्रतिनिधिमंडल ने लोगों से जाम खोलने एवं आंदोलन स्थल हाइवे से कुछ दूरी पर बनाने की अपील भी की थी।

भरतपुर में आरक्षण आंदोलन स्थल के करीब एक आंदोलनकारी ने फांसी लगाकर जान दी

आंदोलनकारियों ने सरकार से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी देने की मांग की

लेकिन आंदोलनकारियों ने नेताओं की बात नहीं तक नहीं मानी है। फिलहाल मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी है। आंदोलनकारियों ने बताया कि, प्रशासन के रवैये से समाज में नाराजगी है। आरक्षण के लिए उसने आत्महत्या कर ली। समाज को 12 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही मोहन के परिजनों को मुआवजा, बेटे को सरकारी नौकरी और मोहन को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि, मोहन सिंह 21 अप्रैल से ही घरना स्थल अरोदा में थे। सोमवार रात खाना खाने के लिए वे अपने घर गंधार गांव चले गए थे। मंगलवार सुबह 4 बजे वे घर से निकल आए और घरना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर पेड़ से रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी। घर में मोहन अकेले कमाने वाले थे। उनके पिता परवती सिंह का मिशन हो चुका है। मंगलवार दोपहर 12 बजे फुले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक पुरारी लाल सैनी की अगुवाई में सैनी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। समाज ने 12 परसेंट आरक्षण की मांग दोहराई। यहाँ दोपहर 3 बजे तक दो दौर की वार्ता हुई। सैनी ने बताया कि, सरकार ने संघर्ष समिति को लिखित मसौदा दिया है। सरकार ओ.बी.सी. आयोग को पत्र लिखकर समाज को जनसंख्या की गणना कर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति से अवगत कराएगी। 1 मई को प्रशासन के अधिकारियों से बात होगी। आंदोलन खत्म करने और हाईवे खोलने के सवाल पर सैनी ने कहा कि, सरकार की ओर से लिखित मसौदा भरतपुर स्थित घरना स्थल पर आंदोलन कर रहे साथियों को पढ़ कर सुनाएंगे। वे जो फैसला करेंगे, कमेटी वही मानेगी।



शिरोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एक हफ्ते पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पंजाब की राजनीति के पितामह प्रकाश सिंह बादल पांच बार मुख्यमंत्री रहे। 27 मार्च 1970 को जब वे पहली बार मु.मंत्री बन तब उनकी उम्र 42 साल थी। सबसे ज्यादा पांच बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। उनके निधन पर दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।

क्या आनंद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जनाधार बनाने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आनंद मोहन राजपूत हैं और बिहार में राजनीतिक महत्व रखने वाले मिथिलांचल क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव है।

'दिव्यांगों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मांगे गए याचिका में कहा गया कि, राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018 के तहत दिव्यांग श्रेणी के अर्थव्यथियों को भर्ती में चार फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ऐसे में इस भर्ती में बीस पर दिव्यांग अर्थव्यथियों के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए थे। इसके बावजूद कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिर्फ पांच पर ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे। याचिका में कहा गया कि, दिव्यांगों के लिए चार फीसदी पद आरक्षित रखने का विधिक प्रावधान होने के बावजूद बोर्ड ने कानून की उपेक्षा कर तय पदों के मुकाबले केवल एक चौथाई पद ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलाब किया है।

मुसलमानों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) था। सरकार के इस कदम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और अदालत ने इस केस का फैसला होने तक, इस आदेश के क्रियान्वयन पर स्टे लगा दिया था।

तथापि, इस आदेश पर मिला स्टे भाजपा को और उसके प्रतिद्वंद्वियों को इस प्रकरण का उद्वेलक करने से तो नहीं रोकता और यह तो तय शुदा बात है ही कि, भाजपा ने इस मुद्दे पर चर्चाओं और बहस को ऐसा रूप दिया है कि यह एक चुनौती मुद्दा बन जाय।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "अगर गलती से कांग्रेस सत्ता में आ गई तो भ्रष्टाचार अब तक के सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच जायेगा तथा "तुष्टीकरण" शुरू हो जायेगा।"

मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने सरकार की कार्यवाही का बचाव करते हुए कहा कि, इस कार्यवाही से मुस्लिमों के प्रति अन्याय नहीं हुआ क्योंकि आरक्षण के लिये उन्हें ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में जोड़ा गया है।

कर्नाटक सरकार के निर्णय पर घोर

आपत्ति जताते हुये, के.पी.सी.सी. अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने भी वादा कर दिया कि, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों का यह आरक्षण फिर से बहाल कर दिया जायेगा।

शिव कुमार ने कहा, "वे (सरकार) यह सोचते हैं कि, आरक्षण का बंटवारा सम्पत्ति की तरह किया जा सकता है। यह संपत्ति नहीं है। यह (अल्पसंख्यकों) का अधिकार है।"

अन्य कांग्रेस नेताओं, जैसे ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, ने भी मंगलवार को कहा कि, भाजपा ने "कर्नाटक की जनता को धोखा दिया है।" उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि "भाजपा की बोम्मई सरकार के "आरक्षण के फर्जीबाड़े" की कलाई एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में खुल गई है।" उन्होंने मांग की कि "प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री बोम्मई जवाब दें कि, उन्होंने वोकलिग, लिंगायत तथा एस.सी./एस.टी. के लोगों के साथ छल क्यों किया क्योंकि भाजपा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णय का कोई बचाव नहीं किया।"

कुछ हिचकिचाहट के बाद अखिलेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हिस्सा मिलना ही चाहिये, लेकिन जहाँ अन्य क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहाँ कांग्रेस को उन्हें रास्ता देना ही चाहिये। यही एकमात्र ऐसा रास्ता है, जिस पर विपक्षी गठबंधन काम कर सकता है तथा अन्ततः प्रभावी रहेगा।"

इस बी.आर.एस. नेता ने आगे कहा कि, पार्टी 2024 के लिये नये मोदी बनाने राहुल गांधी चर्चा को लेकर सहज नहीं है। विपक्ष इस विकल्प पर निश्चित रूप से हारेगा। 2019 में इसका परीक्षण नहीं हुआ है। विपक्ष में और भी लोग हैं, जैसे- (बिहार के मुख्यमंत्री) नीतीश कुमार तथा (बंगाल की मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी, जिन्होंने प्रशासन का ट्रैकरिकॉर्ड बनाया है। राहुल गांधी की उपलब्धि क्या है? वे तो अपनी पार्टी के अधिकृत नेता भी नहीं हैं। और न उनमें इतना साहस है कि वे स्वयं को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर सकें।"

एक अन्य नेता ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुये

समझाया कि, विपक्षी एकता का आश्चर्य डी.के. शिव कुमार ने भी वादा कर दिया कि, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों का यह आरक्षण फिर से बहाल कर दिया जायेगा।

सूरतों ने कहा कि, बी.आर.एस. "सार्थक" गठबंधन पर विशेष जोर देती है तथा विपक्ष को एकजुट करने के लिये काम करेगी। सूत्रों ने कहा कि, अगले कुछ महीनों में विभिन्न दलों के बीच होने वाली चर्चाओं के दौरान बहुत सारी चीजें अंतिम रूप ले लेंगी। हाल ही को दिल्ली यात्रा के बाद, जिसमें नीतीश ने विभिन्न दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल थी, के नेताओं के साथ मीटिंग की थी, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि, वे बी.आर.एस. सहित विपक्षी गठबंधन बनाने के लिये अन्य क्षेत्रीय दलों से बात करेंगे। के.सी.आर. के इस नजदीकी नेता ने जोर देते हुए कहा कि, उनकी पार्टी की

प्राथमिकता इस वर्ष के अंत में होने वाले "विधानसभा चुनाव" है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस का सितारा चमकेगा कि नहीं, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक के विधानसभा चुनावों पर नजर रखी जायेगी। "इनके परिणाम बातचीत की पृष्ठभूमि का काम करेंगे।"

आम जनता की नजर में, कांग्रेस और बी.आर.एस. कष्ट-दुखन वने हुये हैं। गत वर्ष अक्टूबर में, कर्नाट ने टी.आर.एस. का नाम बदलकर बी.आर.एस. किये जाने की हंसी उड़ाई थी तथा कहा था कि, के.सी.आर. अगर चाहे, तो अपनी पार्टी को "अन्तर्राष्ट्रीय" कहने के लिये भी स्वतंत्र हैं। बी.आर.एस. ने भी इस पर पलटवार किया था, जिसके अंतर्गत, के.सी.आर. के पुत्र तथा राज्य के मंत्री के तारक रामारवण या के.टी.आर. ने कहा था कि "प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखने वालों" पहले अमेठी से तो जीत लें (जो उनकी पारिवारिक सीट है तथा जहां से गत चुनाव में राहुल, स्मृति ईरानी से हार गये थे)।

गलवान की झड़प के बाद पहली बार मिलेंगे चीन और भारत के रक्षा मंत्री

चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू 27 अप्रैल को भारत आयेंगे

■ ली शांगफू 27 अप्रैल से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एस.सी.ओ.) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान शांगफू की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता होने की उम्मीद है।

को हल करने के लिए सैन्य तथा कूटनीतिक वार्ता की प्रगति पर चर्चा करने की संभावना है। जनरल ली के दौर से पहले, चीनी रक्षा मंत्रालय ने 23 अप्रैल को चूशुल-मोल्दो सीमा स्थल पर आयोजित चीन-भारत कोर कमांडर स्तरिय बैठक के 18वें दौर के बारे में

सकारात्मक बात की। चीन ने कहा है कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति कायम करने के अलावा पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी गतिरोध से संबंधित 'प्रासंगिक मुद्दों' के समाधान को 'तेज' करने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रासंगिक मुद्दों

पर दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण और स्पष्ट विचारों का आदान-प्रदान हुआ। बयान में कहा गया है, 'दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन में और दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बैठक की उपलब्धियों के आधार पर, दोनों पक्ष सैन्य और राजनीतिक माध्यम से निकट संपर्क और संवाद बनाए रखने, चीन-भारत सीमा के पश्चिमी खंड पर प्रासंगिक मुद्दों के निपटारे में तेजी लाने, सीमाई इलाकों में अमन-चैन बनाए रखने पर सहमत हुए।' चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को बीजिंग में मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों ने

प्रासंगिक मुद्दों के समाधान में तेजी लाने पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया। निंग ने कहा, 'दोनों देशों के नेताओं के सहमतिपूर्ण आम समझ के अनुसार, दोनों पक्षों ने प्रासंगिक मुद्दों के समाधान में तेजी लाने पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया।'

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) के साथ 'प्रासंगिक' मुद्दों के समाधान पर दोनों पक्षों ने 'स्पष्ट और गहन' चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'दोनों पक्ष करीबी संपर्क में रहने और सैन्य और राजनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर काम करने पर सहमत हुए।'